Effect of Supreme Court Judgement on Mandal Commission

667. SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government have had under consideration the question of doing away with the adverse effects of the Supreme Court Judgement with regard to Mandal Commission Report, in so far as it impinges on (i) the quota of reservation of promotion posts for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Government departments and undertakings and (ii) reservations in respect of Technical and Research posts and specialities, and

(b) if so, what decision has been taken in the matter and what steps have been taken in this regard?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): (a) and (b) The matter under consideration.

गुजरात में मानसिक रूप से अविकिसित व्यक्तियों के लिए कल्याण योजनाएं

668. **श्रीमती उर्मिला चिमनभाई पटेल** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों तथा 18 वर्ष से कम आयु के मानसिक रूप से अविकसित बच्चों की पृथक-पृथक संख्या कितनी हैं;

(ख) इन बच्चों के कल्याणार्थ सरकार द्वारा लागू की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में अब तक इन बच्चों के कल्याणार्थ राज्य सरकार को कितनी सहायता प्रदान की गई और यह सहायता किस रूप में दी गई ;

(घ) क्या राज्य सरकार द्वारा इन कल्याण योजनाओं का पूरा-पूरा लाभ इन बच्चों को दिया जा रहा है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(छ) सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा इस वर्ग को इन योजनाओं का पूरा-पूरा लाभ पहुंचाने के लिये जो विशेष प्रयास किये जा रहे हैं उनका ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम) केसरी: (क) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन ने 0–14 वर्ष के आयु वर्ग में बच्चों के विकास में विलंब पर 1991 में देशव्यापी प्रतिदर्श सर्वेक्षण चलाया था। उन बच्चों के आंकड़े जिनमें वय के अन्य बच्चों की तुलना में विकास धीमा और पिछड़ा बताया गया है, गुजरात में ग्रामीण क्षेत्र में विकास में विलंब की दर प्रति हजार 15 तथा शहरी बच्चों में प्रति हजार 25 दिखाया गया है।

(ख) मानसिक मंदता से विकलांग व्यक्तियों की पहचान, शीघ्र कार्रवाई, विशेष शिक्षा और पुनर्वास के लिये निम्नलिखित योजनायें शुरू की गई हैं:–

(1) विकलांगों के पुनर्वास के लिये स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना।

(2) मानसिक मन्दता तथा प्रमस्तिष्काघात वाले व्यक्तियों हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता।

(3) विशेष विद्यालयों को स्थापना के लिये स्वैच्छिक संगठनों को सहायता।

(4) इसके अलावा मानसिक विकलांगों के लिये एक राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किया गया है जो मानव शक्ति विकास, सेवा मोडयूल आदि उपलब्ध करायेगा।